



न्यायालय माननीय राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

प्रकरण क्र. निगरानी - 3574/2018/मुरैना/भू.रा०

1- रामजीलाल पुत्र रतनलाल

2- रामगोपाल पुत्र रतनलाल

निवासीगण - ग्राम शिवलालपुरा,

तहसील सबलगढ, जिला मुरैना म.प्र.

..... आवेदकगण

श्री लखन सिंह धाकर
द्वारा आदेश 11186110
प्रस्तुत। प्रारंभिक तर्क हेतु
दिनांक 19/06/18 नियत।

जज
क्लर्क ऑफ कोर्ट 11/6/18
राजस्व मण्डल, म.प्र. ग्वालियर

बनाम

1- बाबूलाल पुत्र रतनलाल

2- मुस. रज्जो वेवा रतनलाल

3- श्रीमती सुखबाई पुत्री रतनलाल

4- सुरेश

5- प्रकाश


6- बंटी पुत्रगण छुट्टन कुशवाह

7- श्रीमती सीमा पुत्री छुट्टन कुशवाह

निवासीगण- ग्राम शिवलालपुरा,

तहसील सबलगढ, जिला मुरैना म.प्र.

..... अनावेदकगण


11.06.18
Lakhan Singh Dhakar
Advocate

निगरानी आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 50 म.प्र. भू-राजस्व
संहिता 1959 न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी महोदय
सबलगढ, जिला मुरैना के प्रकरण क्र. 49/17-18/अपील
में पारित आदेश दिनांक 30.05.2018 के विरुद्ध निगरानी
प्रस्तुत है :-


माननीय न्यायालय,

आवेदकगण की ओर से निगरानी आवेदन पत्र निम्नानुसार पेश है :-

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश - ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक - निगरानी-3574/2018/मुरैना/भू.रा.

| स्थान एवं दिनांक | कार्यवाही तथा आदेश | पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर |
|------------------|---|--|
| 05-12-18 | <p>आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री लखन सिंह धाकड़ उपस्थित। आवेदक की ओर से यह निगरानी अनुविभागीय अधिकारी के आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म.प्र. भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत अनुविभागीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध सुनवाई कलेक्टर द्वारा की जाना है। अतः यह प्रकरण सुनवाई हेतु कलेक्टर को भेजा जाता है। उभयपक्ष प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक 26-02-19 को कलेक्टर, जिला मुरैना के समक्ष उपस्थित हों।</p> <p style="text-align: right;">  प्रशासकीय सदस्य </p> | |